

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 356442
आ(वि)-15- (विधानमंडलीय)- 04-03/2018

पटना, दिनांक :- 26/02/2018

प्रेषक,

अनुराग कौशल सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

श्री राजीव कुमार सिंह,
राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,
जीविका, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना ।

विषय :- श्री सुमन कुमार, माननीय स.वि.प. द्वारा बिहार विधान परिषद के 188वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पी.पी. 04 के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा पत्रांक 332 दिनांक 23.02.2018 द्वारा बिहार विधान परिषद सचिवालय के जापांक 683(5) दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्राप्त श्री सुमन कुमार, माननीय स.वि.प. द्वारा बिहार विधान परिषद के 188वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पी.पी. 04 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उत्तर प्रारूप पूरक सामग्री के साथ शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(अनुराग कौशल सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

दिनांक: 26.02.2018

आपांक: BRLPS/LSBA/Acknm/03/16/12

प्रतिनिधि (क्षेत्रीय) पदाधिकारी - एवं - अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बिहार को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनाएं, अनुरोध है कि लौटते
आते प्रतिवेदन भेजने की कृपा करें ।

2. सभी उपक्षेत्रीय अध्यक्ष - एवं - अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बिहार को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनाएं, अनुरोध है कि लौटते आते
ले प्रतिवेदन भेजने की कृपा करें ।

Vidhan Sabha Letter L.S. / 18

(अनुराग कौशल सिंह)
26/2/18
STATE COORDINATOR
LSBA (BIHAR)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6ए/प्र04-106/2018- 332

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-23/2/18

विषय: श्री सुमन कुमार, स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 188वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-पी०पी०-04 के संबंध में।

प्रसंग: अवर सचिव, बिहार विधान परिषद्, सचिवालय का ज्ञापांक-683(5) दिनांक 15.02.2018

महाशय

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-पी०पी०-04 जो श्री सुमन कुमार, स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 188वें सत्र में पूछा जाने वाला है, को मूल प्रति संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

50-15
श्री अशोक जी
कृष्ण, विला
26/2/18

श्री अशोक जी
26.2.18

ज्ञापांक- 332

पटना, दिनांक-23/2/18

प्रतिलिपि-अवर सचिव, बिहार विधान परिषद्, सचिवालय का ज्ञापांक-683(5) दिनांक 15.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

(दया शंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)

(दया शंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)

बिहार विधान परिषद् के 188 वाँ सत्र के तैरवें दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 से तारखत 1
इसका प्रारम्भ हुआ।

प्रीति-04 क्या श्री. गुरु [आरक्षी], किये, यह बताने की कृपा करें कि :-

- [क] क्या यह सही है कि शांतिचालय निर्माण हेतु सर्वे के उपरान्त लाभार्थियों का पोर्टल शांतिचालय निर्माण के लिए लिया गया था ?
- [ख] क्या यह सही है कि शांतिचालय का निर्माण शांति चालय एक शांतिचालय के स्थान अधिक लोगों का शांतिचालय निर्माण की राशि का बँटवारा किया गया है ?
- [ग] क्या यह सही है कि आरक्षक अधिकारियों को सर्वे की हेराफेरी का मामला इकाया में आया था और इस संबंध में तत्कालीन राज्य सरकार अभियुक्त की निरक्षरता हुई है ?
- [घ] यदि उपरोक्त सही है उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शांतिचालय निर्माण में अभियुक्त को जमानत तक शांतिचालय के कार्य में नहीं आई है उनके उपर बंधनकारी कार्यवाई करते हुए गुप्तता बूझ शांतिचालय का निर्माण करना चाहती है यदि हाँ तो कब ?